


FORM NO. III  
**फर्द अहकाम**  
 (नियम 26)

जज अदालत ..... उपरवण्ड अधिकारी मुकाम खैतड़ी  
 ..... चांद कंवर बनाम राजस्थान सरकार  
 किस्म मुकदमा ..... 136 L.R. Act. नं. 135 / सुन 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	<p><u>05/10/2021</u> प्रार्थिका द्वारा यह शर्चना पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार खैतड़ी से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार खैतड़ी से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आज यह पत्रावली प्रशासन गोपों के संग अभियान 2021 के तहत ग्राम पंचायत सेकरागुवार में आयोजित कैंप में पेश हुई। तहसीलदार खैतड़ी से प्राप्त रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का ध्यानपूर्वक अपलोफन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तहसीलदार खैतड़ी की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थिका का शर्चना पत्र स्वीकार कर ग्राम सेकरागुवार स्थित ग्राम जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 के खाला संख्या 248 में प्रार्थिका का नाम उगम कंवर पत्नी उगम सिंह के स्थान पर चांद कंवर पत्नी उगम सिंह डुकुलत किया जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की पाबना हेतु तहसीलदार खैतड़ी को तहरीर जारी है। निर्णय मजमे शाम में सुनाया गया। पत्रावली केवल शुमा व दर्ज नम्बर से कम होकर दालिप दफ्तर है।</p> <p style="text-align: center;">   <b>उपरवण्ड अधिकारी</b>  <b>खैतड़ी जि. झुन्डुनू (राज.)</b> </p>	